

भारत सरकार  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1209

शुक्रवार, 28 जून, 2019 को उत्तर देने के लिए

पीएम-एसटीआईएसी

1209 श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार परामर्श परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) पीएम-एसटीआईएसी की संरचना का ब्यौरा क्या है और शुरुआत से हुई इसकी बैठकों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या पीएम-एसटीआईएसी ने अपने गठन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या वेस्ट टू वेल्थ प्रौद्योगिकी पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) और आईआईटी के मध्य कोई समझौता ज्ञापन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) विश्वभर में प्रयोग की जा रही सभी संभव वेस्ट टू वेल्थ प्रौद्योगिकियों को समेकित करने और इन्हें भारतीय शहरों में जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) जी हाँ। सरकार ने प्रधान मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेष सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) का गठन अगस्त 2018 में किया है। यह परिषद विशिष्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति को मूल्यांकन को सुकर बनाने, प्राप्त चुनौतियों को समझने, प्रमुख अंतर-मंत्रालयी मिशनों को निरूपण और समन्वय करने विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेष में नीतिगत पहलों के लिए भावी योजना का विकास करना तथा समय-समय पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के अधिदेश से संपन्न है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) कार्यालय इस परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

पी.एम-एसटीआईएसी का गठन इस प्रकार है:

- (1) प्रो. के विजय राघवन, पी.एसए भारत सरकार (अध्यक्ष)
  - (2) डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग तथा पूर्व डी.जी, डीआरडीओ
  - (3) डॉ. ए.एस किरन कुमार, पूर्व अध्यक्ष इसरो
  - (4) प्रो. अजय कुमार सूद, प्रोफेसर, आईआईएस.सी, बैंगलुरु
  - (5) मेजर जनरल माधुरी कनिटकर, डीन, सशस्त्रवल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे
  - (6) प्रो. संघमित्रा बंदोपाध्याय, निदेशक भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता
  - (7) प्रो. मंजूल भार्गव, प्रोफेसर प्रिंसटन विश्वविद्यालय, यूएसए
  - (8) श्री बाक्सा कल्याणी, अध्यक्ष एवं एमडी भारत फोर्स, पुणे
  - (9) प्रो. सुभाष काक, प्रोफेसर ओकलाहोमा स्टेलयूर्व्सीट पूरा
- पी.एम एसटीआईएसी अब तक चार बार मिल चुके है।

(ग) जी हॉ। पीएम-एसटीआईएसी बैठक के परिणामस्वरूप प्राकृतिक भाषा अनुवाद (नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन) क्वांटम फ्रंटियर, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, विद्युत वाहन, मानव स्वास्थ्य के लिए जैव-विज्ञान, अपशिष्ट से धन उत्पादन गहरे सामुद्रिक अन्वेषण तथा नये भारत के नवोन्मेष के विकास को बढ़ाना (अग्नि) सहित अनेक नए अंतर-विभागीय तकनीकी मिशन का गठन हुआ। पीएसए की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति, प्रत्येक मिशन का समन्वित क्रियान्वयन के लिए समग्र निर्देश देती है।

(घ) जी हॉ। पी.एस.ए कार्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी) दिल्ली के मध्य "अपशिष्ट को धन" में रूपांतरित करने के लिए साझेदारी में एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।" एकीकृत, स्थायी वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक समाधान प्रदान करने के लिए हुआ। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य कार्य स्थल पर प्रायोगिक परियोजना स्थापित कर, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अकादमियों उद्योगों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करना और भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी का अवधारणात्मक प्रमाण प्रस्तुत करना है।

(ङ) भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों ने 'अपशिष्ट का संपदा' में बदलने वाली विश्व भर में प्रचलित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने तथा भारतीय शहरों में बुनियादी स्तर पर इन्हें क्रियान्वित करने के लिए कई कदम उठाये हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने वर्ष 2015 में "अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी" नामक कार्यक्रम की शुरुआत की, इसका लक्ष्य उपभोगता वादी जीवन शैली एवं औद्योगिक विकास से उत्पन्न अवशेषों की मात्रा को वातावरण से कम करने में सक्षम उपयुक्त देशी तकनीक के विकास को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के संशोधित फोकस के छः क्षेत्र हैं, यथा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, चिकित्सालयों का अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा, खनन, द्यातुर्कर्मिय, सेरेमिक उद्योगों का ठोस अपशिष्ट कृषि अपशिष्ट तथा स्टब्ल मैनेजमेंट तथा प्रयोगशाला के खतरनाक तथा गैर खतरनाक अपशिष्ट, उद्योगों के सहयोग से, आरएण्डडी एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं का लक्ष्य नवीनता तथा वैज्ञानिक अद्वितीयता के मानदंड पूरे करने की दृष्टि से निधिप्राप्त पूर्व प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकीयों/तकनीकों/प्रक्रियाओं का विकास करना है, उस प्रकार डीएसटी का लक्ष्य ऐसी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकीयों को प्रोत्साहित करना है जिसकी व्यवसायिक संभावना हो। विज्ञान और कुछ प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहायता प्रदत्त कुछ प्रौद्योगिक व्यवसाय इन्क्यूबेटरों में 'अपशिष्ट प्रबंधन' तकनीकी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में से एक है तथा वे अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्ट अप वेन्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने नगर ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के संसाधन (ट्रिटमेंट) के लिए "स्वच्छ भारत मिशन" के तहत वर्ष 2016 में 10 आरएण्डडी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है जिनमें से तीन प्रदर्शन स्तर की परियोजनाएं (डेमोस्ट्रेशन लेवल प्रोजेक्ट) हैं तथा सात एमएसडब्ल्यू संसाधन प्रौद्योगिकियों से संबंधित आरएण्डडी स्तर की परियोजनाएं हैं। एक प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना की गई है। इस उदीयमान प्रौद्योगिकी को पूर्व व्यवसायिक स्तर पर ले जाने के लिए डीबीटी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा विधिमन्य किया जाता है। पूरे देश में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधीन 47 प्रयोगशालाओं द्वारा "अपशिष्ट से धन" विषयक अंतरित/अभिपूरत प्रौद्योगिकियों पर कार्य किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*